

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

Shri Jagat Prakash Nadda.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 34 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994:-

(1) The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.492(E) in Gazette of India dated 23rd May, 2017.

(2) The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.599(E) in Gazette of India dated 19th June, 2017.

[Placed in Library, See No. LT- 7202/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) डिपॉजिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT- 7203/16/17]

(2) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 7204/16/17]

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) नियम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.987(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 7205/16/17]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकन क्षमता के आंतरिक विकास का विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2017 जो 8 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2017 जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT- 7206/16/17]

(5) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत भारतीय बीमांकक संस्थान (सदस्य के रूप में प्रवेश तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र का जारी किया जाना) विनियम, 2017 जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. एम-18012/03/2008-इंस.।।। में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 7207/16/17]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.642(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2017 जो 4 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.826(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.2065(अ) जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित धारा 269एसटी के उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7208/16/17]

(7) स्वापक ओषधि और मनःपूजावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) स्वापक ओषधि और मनःपूजावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ. 1382(अ) जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, स्टाटों और विनिर्मित पदार्थों को विनिर्मित ओषधि के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ. 1383(अ) जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मनःपूजावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसमें उल्लिखित मनःपूजावी पदार्थों की सूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ. 1384(अ) जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7209/16/17]

(8) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 690(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति के लिए दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 691(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय माल और सेवा कर से कतिपय सेवाओं की आपूर्ति में छूट को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 692(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाओं की उन श्रेणियों को अधिसूचित करना है, जिन पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर संदेय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 694(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति मानी जाएंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 694(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो प्रयोग नहीं किए गए आदान कर क्रेडिट के रिफंड के लिए अपात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 695(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संगठनों या संस्थाओं को अधिसूचित करना है जो उन्हें प्राप्त अधिसूचित माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर समादत कर के रिफंड का दावा करने की हकदार हैं तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सा.का.नि. 696(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का संदाय किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7210/16/17]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 683(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 684(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत एकीकृत माल और सेवा कर से कतिपय सेवाओं की आपूर्ति में छूट को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 685(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाओं की उन श्रेणियों को अधिसूचित करना है, जिन पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र के अंतर्गत एकीकृत कर संदेय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 686(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति मानी जाएंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 687(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो प्रयोग नहीं किए गए आदान कर क्रेडिट के रिफंड के लिए अपात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छठ) सा.का.नि. 688(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संगठनों या संस्थाओं को अधिसूचित करना है जो उन्हें प्राप्त अधिसूचित माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर समादत कर के रिफंड का दावा करने की हकदार हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 689(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का संदाय किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7211/16/17]

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 702(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 703(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से कतिपय सेवाओं की आपूर्ति में छूट को अधिसूचित करना है तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा.का.नि. 704(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाओं की उन श्रेणियों को अधिसूचित करना है, जिन पर संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर संदेय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 705(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति मानी जाएंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 706(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो प्रयोग नहीं किए गए आदान कर क्रेडिट के रिफंड के लिए अपात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 707(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संगठनों या संस्थाओं को अधिसूचित करना है जो उन्हें प्राप्त अधिसूचित माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर समादत कर के रिफंड का दावा करने की हकदार हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 689(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपरेटर द्वारा कर का संदाय किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7212/16/17]

(11) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 709(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति पर प्रतिकर उपकर की दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 720(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अंतर्गत माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर की दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7213/16/17]

(12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) आयात शुल्क का आस्थगित संदाय (संशोधन) नियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 321 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की संभलाई (संशोधन) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 322 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) बिल आफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 323 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) बिल आफ एंट्री (प्रपत्र) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 324 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पाँच) का. आ. 1038 (अ), जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छठ) सा.का.नि. 814(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 जुलाई, 1976 की अधिसूचना संख्या 318/1976-सी.शु. को निरस्त करना और परिणामस्वरूप व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य मर्चों पर 28 प्रतिशत एकीकृत माल और सेवा कर लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 850(अ) जो 8 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 665(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2017 को कसधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 के सभी उपबंधों को लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7214/16/17]

(13) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 597(अ) जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पाकिस्तान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और मैक्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीस लिमिटेड, पाकिस्तान द्वारा विनिर्मित और निर्यातित 'विलयर फ्लोएट ग्लास, जिसकी मामूली मोटाई 4 मिलि मीटर से 12 मिली मीटर (दोनों ही शामिल) हो' के आयात पर, प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, माल के सभी आयात को अंतिम रूप देना है जिनका 30 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 53/2015-सी.शु. के पश्चात् अंतिम मूल्यांकन किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप 30 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 53/2015-सी.शु., (एडीडी) को रद्द किया गया है। इस प्रकार अधिसूचना सं. 30/2017 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 2017 की रिट याचिका सं. 12950 में 25 मई, 2017 को दिए गए आदेश को देखते हुए आस्थगित रख दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 879(अ) जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ओ-एसिड' के आयात पर 6 माह की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7215/16/17]

(14) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 38 तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापसी (संशोधन) नियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.724(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं. 131/2016-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.408(अ) जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं. 131/2016-

(15) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.800(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना सं. 28/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.815(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2005 की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी माल पर उदग्रहणीय अतिरिक्त शुल्कों से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.816(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तंबाकू उत्पादों पर संयुक्त उग्रहण से संबंधित 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 16/2010-के.उ.शु. को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT- 7217/16/17]

(16) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 31क की उपधारा 2(1)(ड)(iv) के साथ पठित अधिनियम की धारा 31क की उप-धारा 2 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 6/1/2016-वसूली/डीआरटी, जिसके द्वारा अंतिम संपरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति वाले उसमें उल्लिखित गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों को 'वित्तीय संस्थाओं' के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 7218/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगुन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषणकारी तत्व, जीव विष और अवशिष्ट) पहला संशोधन विनियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-10 (2)/मानक/एसपी (मत्स्य और मत्स्यपालन उत्पाद) एफएसएसआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 13वां संशोधन विनियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसआई/ में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2017 जो 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.1-10(7)/मानक/एसपी(मत्स्य और मत्स्यपालन उत्पाद) एफएसएसआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवां संशोधन विनियम, 2017 जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.मानक/03/अधिसूचना(एल.एस.)/एफएसएसआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2017 जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.मानक/एससीएसएसएण्डए/अधिसूचना(02)/एफएसएसआई-2 0 1 6 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.मानक/ओएण्डए/अधिसूचना(1)/एफएसएसआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT- 7219/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Security Printing and Minting Corporation of India Limited and the Ministry of Finance for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT- 7220/16/17]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

- (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 24 of 2017)-Air Force for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT- 7221/16/17]

- (ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 26 of 2017)-Performance Audit on Disbursement of Defence Pension for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT- 7222/16/17]

- (iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 27 of 2017)-(Department of Revenue-Direct Taxes) Performance Audit on Assessment of Private Hospitals, Nursing Homes/Medical Clinics, Medical Colleges/Research Institutes, Diagnostic Centres, Pathological labs and other Medical supplies agencies/stores for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT- 7223/16/17]

- (iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 28 of 2017)-Performance Audit on Recapitalisation of Public Sector Banks, Ministry of Finance.

[Placed in Library, See No. LT- 7224/16/17]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

- (i) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/035 in Gazette of India dated 27th February, 2017.

- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/036 in Gazette of India dated 27th March, 2017.

- (iii) The Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-

NRO/GN/2016-17/037 in Gazette of India dated 6th March, 2017.

- (iv) The Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-

NRO/GN/2016-17/038 in Gazette of India dated 29th March, 2017.

- (v) The Securities and Exchange Board of India (Employees'

Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/002 in Gazette of India dated 17th May, 2017.

(vi) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 published in Notification

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/025 in Gazette of India dated 4th January, 2017.

(vii) The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/026 in Gazette of India dated 4th January, 2017.

(viii) The Securities and Exchange Board of India (Employees'

Service) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/001 in Gazette of India dated 27th April, 2017.

(ix) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/006 in Gazette of India dated 31st May, 2017

(x) The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD- NRO/GN/2017-18/003 in Gazette of India dated 29th May, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7225/16/17]

(4) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under issued under Section 26A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 26A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 22C of the Depositories Act, 1996:-

(i) The Securities Contracts (Regulation) (Third Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.822(E) in Gazette of India dated 3rd July, 2017.

(ii) S.O.1180(E) in Gazette of India dated 13th April, 2017 appointing Special Judge presiding over the City Civil and Sessions Court, Greater Mumbai for the purposes of the aforesaid Acts.

[Placed in Library, See No. LT 7226/16/17]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

(i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 in Gazette of India dated 31st March, 2017.

(ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 in Gazette of India dated 31st March, 2017.

(iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG011 in Gazette of India dated 14th June, 2017.

(iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG012 in Gazette of India dated 15th June, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7227/16/17]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

(i) The Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.51(E) in Gazette of India dated 19th January, 2017.

(ii) The Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.52(E) in Gazette of India dated 19th January, 2017.

(iii) The Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.53(E) in Gazette of India dated 19th January, 2017.

- (iv) The Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No G.S.R.383(E) in Gazette of India dated 18th April, 2017.
- (v) The Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.384(E) in Gazette of India dated 18th April, 2017.
- (vi) The Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.385(E) in Gazette of India dated 18th April, 2017.
- (vii) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.386(E) in Gazette of India dated 18th April, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7228/16/17]

(7) A copy of the Notification No. G.S.R.388(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 18th April, 2017, notifying that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of April, 2017 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 7.9 per cent per annum issued under Section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 7229/16/17]

(8) A copy of the Senior Citizens' Welfare Fund (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.380(E) in Gazette of India dated 18th April, 2017 issued under Section 128 of the Finance Act, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 7230/16/17]

(9) A copy of the Specified Bank Notes (Deposit by Banks, Post Offices and District Central Cooperative Banks) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.611(E) in Gazette of India dated 20th June, 2017 under sub-section (2) of Section 11 of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7231/16/17]

(10) A copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.470(E) in Gazette of India dated 16th May, 2017 under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 7232/16/17]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002:-

(i) S.O.2039(E) published in Gazette of India dated 29th June, 2017, exempting every person or enterprise who is a party to a combination as referred to in Section 5 of the Competition Act, 2002 from giving notice within thirty days mentioned in sub-section (2) of Section 6 of the said Act, subject to the provisions of sub-section (2A) of Section 6 and Section 43A of the Competition Act, for a period of five years from the date of publication of this notification.

(ii) S.O.988 (E) published in Gazette of India dated 29th March, 2017, exempting the enterprises, who control, shares, voting rights or assets are being acquired under Section 5 of the Competition Act, 2002.

(iii) S.O.989 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette

of India dated 29th March, 2017 rescinding Notification No. S.O.674(E) dated 4th March, 2016.

(iv) S.O.950(E) published in Gazette of India dated 24th March, 2017, exempting the Vessel Sharing Agreements of Liner Shipping Industry from the provisions of Section 3 of the Competition Act, 2002 for a period for three months with effect from 31st March 2017.

(v) S.O.1933(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2017, exempting the Vessel Sharing Agreements of Liner Shipping Industry

from the provisions of Section 3 of the Competition Act, 2002 for a period for one year with effect from 20th June 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7233/16/17]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

- (i) The Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. 1-CA(7)/178/2016 in Gazette of India dated 25th May, 2017.
- (ii) G.S.R.376(E) published in Gazette of India dated 17th April, 2017, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 7234/16/17]

(13) A copy of the Notification No. G.S.R.391(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th April, 2017, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.787(E) dated 15th October, 2015, under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

[Placed in Library, See No. LT 7235/16/17]

(14) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the Financial year 2016-2017, under sub-section of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 7236/16/17]

(15) A copy of the Notification No. G.S.R.387 (E) (Hindi and English

versions) published in Gazette of India dated 18th April, 2017, notifying that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of April, 2017 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.4 per cent per annum issued under sub-rule (1) of Rule 7 of the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7237/16/17]

(16) A copy of the Notification No. S.O.1317(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2017 appointing the 26th April, 2017 as the date on which the provisions of Part VIII of Chapter VI of the Finance Act, 2017 shall come into force issued under Section 145 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7238/16/17]

(17) A copy of the Insolvency and Bankruptcy Code (Removal of Difficulties) Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.1683(E) in Gazette of India dated 24th May, 2017 under Section 242(1) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7239/16/17]

(18) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-

- (i) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.54(E) in Gazette of India dated 19th January, 2017.
- (ii) The Kisan Vikas Patra (Amendment Rules), 2017 published in Notification No. G.S.R.381(E) in Gazette of India dated 18th April, 2017.
- (iii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment Rules), 2017 published in Notification No. G.S.R.382(E) in Gazette of India dated 18th April, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7240/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2015-2016.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7241/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I beg to lay on the table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and the Ministry of Defence for the year 2017-2018.
- [Placed in Library, See No. LT 7242/16/17]
- (2) Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Ministry of Defence for the year 2017-2018.
- [Placed in Library, See No. LT 7243/16/17]
-